पत्र संख्या–वि0(27)पें0को0(ग्रु0बी0)–139/13 ......416....../दिनांक

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक : 26.03.2014

संकल्प

विषय : राज्य सरकार द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण लागू किये जाने के उपरान्त पूर्व के वेतनमान पर आधारित पदों के वर्गीकरण को नये वेतन बैंड एवम् ग्रेड वेतन के आधार पर संशोधन करने के संबंध में।

नई ग्रूप बीमा योजना नियमावली, 1997 के नियम–3 में वर्णित प्रावधान के अनुसार राज्य कर्मियों द्वारा ग्रूप बीमा मद की राशि का अंशदान किया जाता है। उक्त अंशदान वेतनमान आश्रित पदों के वर्गीकरण पर आधारित है। पदों के वर्गीकरण एवं तद्नुरूप अंशदान की सारणी इस प्रकार है :–

क्र.	विवरण	समूह	अनुमान्य अंशदान
1	राज्य सरकार के अधीन वैसे वेतनमान या वेतनमानों वाले पद जिसका वेतनमान रूपये 8,000–13,500 एवं उससे ऊपर के वेतनमान वाले पद।	"क"	रूपये 120/–
2	राज्य सरकार के अधीन रूपये 5,500–9,000 एवं उससे ऊपर के वेतनमान वाले पद किन्तु रूपये 8,000–13,500 से कम वेतनमान वाले पद।	"ख"	रूपये 60/–
3	राज्य सरकार के अधीन रूपये 2,750–4,400 एवं उससे ऊपर किन्तु रूपये 5,500–9,000 से कम वेतनमान वाले पद।	"ग"	रूपये 30/–
4	राज्य सरकार के अधीन रूपये 2,550–4,000 या उससे कम वेतनमान वाले पद।	"घ"	रूपये 15/–

2. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–सह–ज्ञापांक 511 दिनांक 22.02.2011 द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के संदर्भ में वेतन समिति की अनुशंसा के उपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से किए गए वेतन पुनरीक्षण के आलोक में तथा भारत सरकार के वर्गीकरण संबंधी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के आदेश संख्या 946 (अ.) दिनांक 09.04.2009 के अनुरूप राज्य सरकार के अधीन पदों को पुनवर्गीकृत किया गया है।

3. सप्तम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में राज्य कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से किसी न किसी वेतन–बैंड में एवं ग्रेड वेतन के आधार पर हुआ है। साथ ही राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/नियमित प्रोन्नति का लाभ मिलने के फलस्वरूप उनके वेतन बैंड एवम् ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है। नव नियुक्त राज्य कर्मियों की नियुक्ति भी सप्तम वेतन पुनरीक्षण द्वारा लागू वेतन संरचना अन्तर्गत किसी न किसी वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में होती है, परन्तु वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन आधारित पदों के वर्गीकरण के आधार पर ग्रूप बीमा मद में अंशदान निर्धारण नहीं किये जाने के कारण विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वित्त विभाग से ग्रूप बीमा मद में अंशदान के दर को लेकर परामर्श की अपेक्षा की जाती है।

4. उपरोक्त कंडिका–2एवं 3 में वर्णित स्थिति से वर्त्तमान में लागू कंडिका –1 म ग्रूप बीमा मद में अंशदान के लिए वेतनमान आधारित पदों का वर्गीकरण/विवरण अब अप्रासंगिक हो गया है। फलस्वरुप इसे सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–511 दिनांक 22.02.2011 के आलोक में पदों के नवीन वर्गीकरण के आधार पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है ।

5. अतः नई ग्रूप बीमा योजना नियमावली, 1997 के नियम–3 में सन्निविष्ट सारणी के पदों के विवरण संबंधी प्रावधान को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है :–

क्र.	पुराने वेतनमान में पदों के विवरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में पदों के विवरण	समूह
1	राज्य सरकार के अधीन वैसे वेतनमान या वेतनमानों वाले पद जिसका वेतनमान रूपये 8,000–13,500 एवं उससे ऊपर के वेतनमान वाले पद।	(क) शीर्षस्थ वेतनमान (80,000 नियत) और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड जमा वेतनमान (रूपया 75,500–80,000) में कोई सिविल पद, और (ख) निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पद 37400–67000 रूपये के वेतनमान में वेतन बैंड–4 में 12,000 रूपये, 10,000 रूपये, 8900 रूपये और 8700 रूपये तथा 15,600–39,100 रूपये के वेतनमान में वेतन बैंड 3 में 7600 रूपये, 6600 रूपये और 5400 रूपये।	समूह 'क'
2	राज्य सरकार के अधीन रूपये 5,500–9,000 एवं उससे ऊपर के वेतनमान वाले पद किन्तु रूपये 8,000–13,500 से कम वेतनमान वाले पद।	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पद :– 9300–34800 रूपये के वेतन बैंड 2 में 5400 रूपये, 4800 रूपये और, 4600 रूपये	समूह 'ख'
3	राज्य सरकार के अधीन रूपये 2,750–4,400 एवं उससे ऊपर किन्तु रूपये 5,500–9,000 से कम वेतनमान वाले पद।	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पद :– 9300–34800 रूपये के वेतन बैंड 2 में 4200 रूपये और 5200–20200 रूपये के वेतन बैंड–1 में 2800 रूपये, 2400 रूपये, 2000 रूपये, 1900 रूपये, और 1800 रूपये।	समूह 'ग
4	राज्य सरकार के अधीन रूपये 2,550–4,000 या उससे कम वेतनमान वाले पद।	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पद :– 4440–7440 रूपये के वेतन बैंड 1 एस वेतनमान में 1300 रूपये, 1400 रूपये, 1600 रूपये और 1650 रूपये	समूह 'घ'

6. नई ग्रूप बीमा योजना नियमावली, 1997 के नियम–3 के प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

7. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के ग्रूप बीमा अंशदान का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(संजीव हंस)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजीव हंस)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक 416 दिनांक 26.03.2014

प्रतिलिपि : सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय पंत भवन, बेली रोड, पटना/मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव हंस)
सचिव (संसाधन)
25/3/14